



e-ISSN: 2319-8753 | p-ISSN: 2347-6710

IJIRSET

International Journal of Innovative Research in
SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

Volume 11, Issue 1, January 2022

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INDIA

Impact Factor: 7.569

9940 572 462

6381 907 438

ijirset@gmail.com

www.ijirset.com

बेरोजगार एवं रोजगार युक्त युवाओं के आत्मविश्वास एवं आत्मसम्मान का अध्ययन- मंडला जिले के संदर्भ में

Mrs. Shruti Singh

Assistant Professor, Department of Human Development, Govt. M.H. College of Home Science and Science for
Women, Jabalpur (MP), India

सार

मंडला. प्रदेश के शहरी युवा बेरोजगारों को मनपसंद क्षेत्र में रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से युवा स्वाभिमान योजना लागू की गई है। योजना के जरिए वर्ष 2019 की स्थिति में प्रदेश में युवाओं की संभावित संख्या 6.50 लाख को आने वाले समय में आत्म-निर्भर बनाने के लिए व्यावसायिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना में अभी तक 79 हजार 400 युवाओं ने पंजीयन करवा लिया है। योजना में जीवन-यापन की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए वर्ष में 100 दिन तक का रोजगार देना शामिल है।

युवा नगरीय निकायों में निवासरत हो तथा उसकी आयु 21-30 वर्ष होनी चाहिए। परिवार की समस्त स्त्रियों से वार्षिक आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पात्र युवक-युवती को जो कार्य सौंपा जाएगा, उस संबंध में पहले 10 दिन में निकाय द्वारा उस कार्य का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

योजना में पात्र युवाओं को एक वर्ष में 100 दिनों के लिए, 4000 रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड पर नगरीय निकायों में अस्थाई-रोजगार दिया जाएगा। स्टाइपेंड प्रत्येक माह के अंत में युवक-युवती के बैंक खाते में किया जाएगा। कार्य की अवधि एक माह से कम होने पर समानुपातिक दर से भुगतान किया जाएगा। युवाओं का 90 दिनों तक 4 घंटे नगरीय निकाय द्वारा आवंटित विहित कार्य में नियोजन एवं 4 घंटे कौशल एवं तकनीकी विकास का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें न्यूनतम उपस्थिति होने पर ही अभ्यर्थी को कार्य के समानुपातिक भुगतान की अर्हता होगी। भुगतान की समस्त सूचनाएं अभ्यर्थी को सतत प्रेषित की जाएंगी। कार्य में 33 प्रतिशत एवं प्रशिक्षण में 70 प्रतिशत न्यूनतम उपस्थिति होने पर ही अभ्यर्थी स्टाइपेंड भुगतान के लिए पात्र होगा।

योजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरीय निकाय (नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद) नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। नगरीय निकाय में पंजीयन के दौरान प्रत्येक पात्र युवा से दो विकल्प लिए जाएंगे। पहला निकाय द्वारा चिन्हांकित कार्यों में से कार्य के विकल्प, जैसे-सम्पत्ति कर की वसूली, जल कर की वसूली, सम्पत्ति कर के लिए सर्वे, निर्माण कार्यों में श्रमिक के रूप में कार्य आदि। दूसरा कौशल प्रशिक्षण के लिए क्षेत्र का चयन जिसमें कैरियर बनाने की रुचि हो।

अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर योजना का लाभ लेने के लिए पंजीयन करा सकते हैं। पंजीयन में अभ्यर्थी को अपनी पसंद के तीन नगरीय निकाय, तीन कार्य एवं तीन कौशल प्रशिक्षण ट्रेड प्राथमिकता क्रम में चयन के विकल्प उपलब्ध होंगे। पंजीयन के समय अभ्यर्थी द्वारा निवास, आय एवं मनरेगा जॉब कार्डधारी न होने का स्व-प्रमाणन किया जाना अनिवार्य होगा। पात्र अभ्यर्थी युवा पोर्टल पर पंजीयन कर अभिस्वीकृति-पत्र का प्रिन्ट आउट प्राप्त कर लें। पोर्टल द्वारा उन्हें 'पहले-आओ, पहले-पाओ' आधारित कार्य आवंटन तथा चयनित नगरीय निकाय पर प्रत्यक्ष रूप से उनकी ऑनबोर्डिंग की जाएगी। इसकी पूर्व सूचना उन्हें उनके मोबाइल ऐप पर दी जाएगी। ऑनबोर्डिंग के समय नगरीय निकाय के नोडल अधिकारी उनका आधार-आधारित-सत्यापन तथा निकाय स्तरीय दस दिवसीय प्रशिक्षण संचालित करेंगे।

परिचय

मंडला जिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला है। जिले का मुख्यालय मंडला है। जिला सतपुड़ा पहाड़ियों में स्थित है। नर्मदा नदी उत्तर-पश्चिम बहती हुई इस जिले को रीवा से अलग करती है। नर्मदा की सहायक बंजार नदी की घाटी में जिले का सबसे अधिक उपजाऊ भाग पड़ता है, जिसे 'हवेली' कहते हैं। हवेली के दक्षिण बंजार की घाटी जंगलों से ढकी हुई है। सर्वप्रमुख इमारती पेड़ साल हैं। बाँस, टीक और हरड़ अन्य उल्लेखनीय वृक्ष हैं। नदियों की घाटियों में धान, गेहूँ और तिलहन की उपज होती है। लाख उत्पादन, लकड़ी चौरना, पान उगाना, पशुपालन, चटाई और रस्सियों का निर्माण यहाँ के लोगों के उद्यम हैं। यहाँ के 60 प्रतिशत निवासी गौड़ जनजाति के हैं। यहाँ मैगनीज और धातु के निक्षेप हैं। मंडला नगर, नर्मदा नदी के किनारे जबलपुर के 45 मील दक्षिण-

पूर्व में मंडला जिले का प्रशासनिक केन्द्र है, जो तीन ओर से नर्मदा द्वारा घिरा हुआ है। फुल धातु (Bell metal) के पात्रों के लिये विख्यात है। यह गोंड वंश की राजधानी रह चुका है। यहाँ किले और प्रासाद के अवशेष हैं।[1,2]



मंडला (नईदुनिया प्रतिनिधि)। आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत रोजगार उत्सव मेलों का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में कलेक्टर हर्षिका सिंह के निर्देशन में आईटीआई परिसर रसैयादौना में जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में विधायक मंडला श्री देवसिंह सैयाम, जिला पंचायत सीईओ तन्वी हुख, जिला रोजगार अधिकारी श्री सैयाम, श्रम अधिकारी जितेन्द्र मेश्राम, डीआईसी महाप्रबंधक श्री वास्कले, प्राचार्य आईटीआई तथा संबंधित विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएं एवं हितग्राही उपस्थित रहे। जिला स्तरीय रोजगार मेले में कुल 192 आवेदकों का पंजीयन हुआ। मेले में 6 कंपनियों के द्वारा कुल 94 आवेदकों का प्रारंभिक चयन किया गया एवं 55 आवेदकों को मुख्य अतिथि के माध्यम से अफर लेटर का वितरण किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ माँ सरस्वती के छायाचित्र पर माला अर्पण के साथ हुआ।[3,4]

आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश के अंतर्गत रोजगार उत्सव मेले को सजीव प्रसारण के माध्यम से संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे कार्यों एवं आगामी नीतियों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने रोजगार मेले के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रदेश के विकास में अपनी प्रतिभा का भरपूर उपयोग करने की बात कही। विधायक मंडला श्री देवसिंह सैयाम ने कहा कि कोरोना संकट के पश्चात् रोजगार की समस्या के निराकरण के लिए इस तरह के रोजगार मेले महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने जिला स्तरीय रोजगार मेले में चयनित छात्र-छात्राओं एवं हितग्राहियों को ऑफर लेटर भी वितरित किए।[5,6]



जिला पंचायत सीईओ तन्वी हुख ने रोजगार मेले को संबोधित करते हुए कहा कि सभी छात्र-छात्राएं अपनी प्रतिभा का अपने, अपने परिवार, जिले एवं प्रदेश के विकास में उपयोग करें। उन्होंने कहा कि जिले से बाहर रोजगार प्राप्त होने की स्थिति में बाहर जरूर जाएं और नई चीजें सीखते हुए जीवन में लगातार आगे बढ़ें। रोजगार मेले में रोजगार अधिकारी श्री सैयाम, श्रम अधिकारी, प्राचार्य आईटीआई तथा संबंधित विभागों के अधिकारियों ने अपने विभाग के माध्यम से दिए जाने वाले रोजगारों एवं कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। आईटीआई परिसर में संबंधित विभागों ने छात्र-छात्राओं एवं हितग्राहियों के पंजीयन एवं उपयोगी जानकारी प्रदान करने के लिए स्टॉल भी लगाए। कार्यक्रम का संचालन आनंद मसीह ने किया। [7,8]

रोजगार-स्वरोजगार से जुड़े 2086 युवा

युवा बेरोजगारों को रोजगार के बेहतर अवसर प्रदान करने हेतु मण्डला जिले में 9 दिसम्बर से 20 जनवरी तक कुल 8 मेले एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया जिसमें 132 कम्पनी एवं स्थानीय उद्योगों द्वारा भागीदारी की गई जिसमें 2387 युवा बेरोजगारों के द्वारा पंजीयन कराया गया। 122 कम्पनी एवं स्थानीय उद्योगों द्वारा कुल 2086 इच्छुक युवाओं को चयनित किया जाकर रोजगार/स्वरोजगार प्रदाय किया गया जिसमें रोजगार 1520 एवं स्वरोजगार 566 शामिल हैं। मंच के माध्यम से कुल 170 युवाओं को ऑफर लेटर प्रदाय किया गया तथा 566 युवाओं को स्वीकृति/वितरण पत्रक वितरित किये गये। इस प्रकार जिले के कुल 2086 बेरोजगार युवाओं को रोजगार/स्वरोजगार प्रदान किया गया।

अवलोकन

सरकार ने रोजगार सृजन और उद्यमिता तथा निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की स्थापना की है। विदेशी निवेश को आकर्षित करने और मैनुफैक्चरिंग में वृद्धि लाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। मंत्रालय की प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से युवाओं को उद्योग से संबंधित दक्षता का प्रशिक्षण और अपनी रोजगारपरकता में सुधार करने का मौका मिल रहा है। युवा वर्ग श्रम बाजार में प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार हो सके, इसके लिए सरकार ने विभिन्न प्रकार के दक्षता कार्यक्रम उपलब्ध कराए हैं, जैसे: राष्ट्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण योजना, दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, राष्ट्रीय शहरी जीविकोपार्जन मिशन और राष्ट्रीय ग्रामीण जीविकोपार्जन मिशन। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की राष्ट्रीय करियर सेवा का उद्देश्य पारदर्शी और उपयोगकर्ता के अनुकूल तरीके से रोजगार से मेल खाने वाली सेवाएं प्रदान करना है। [9,10]



अधिक उत्पादक और उच्च दक्षता पूर्ण सूक्ष्म, लघु और मध्यम दर्जे के उद्यमों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए अनेक राष्ट्रीय योजनाएं जैसे मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उधारकर्ताओं को ग्रीनफील्ड उद्यम लगाने में मदद करने के लिए बैंक लोन कार्यक्रम) और डिजिटल इंडिया को शुरू किया गया है जिससे रोजगार की मांग और नौकरियों के सृजन में तेजी आए। अटल नवाचार मिशन का प्रयास नए प्रयोगों और उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। इसके लिए वह नए विचारों को उत्पन्न और साझा करने तथा नए विचारों वाले व्यक्तियों को मार्गदर्शन और सहयोग प्रदान करने के लिए एक मंच देता है। दक्षता, उद्यमिता और रोजगार सृजन पर केंद्रित संयुक्त राष्ट्र प्राथमिकता समूह सरकार के सहयोग से श्रम बाजार की सूचना प्रणालियों को मजबूती देता है, स्कूल से कार्यस्थल पर संक्रमण की रणनीतियों को सहयोग प्रदान करता है तथा राज्य स्तर पर रोजगार एवं कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लक्ष्य, गुणवत्ता एवं पहुंच को सुधारने में मदद करता है। वह सरकार की रोजगार सृजन और उद्यमिता रणनीतियों और कार्यक्रमों को समर्थन देता है जिससे यह सुनिश्चित हो कि उसमें युवा, महिलाएं, प्रवासी श्रमिक और दूसरे सीमांत समूह शामिल हैं। निम्न आय वाले राज्यों और जिलों तथा पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने का प्रयास किया गया है, साथ ही सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम दर्जे के उद्यमों (एमएसएमई) के विकास, ग्रामीण श्रम बाजार, श्रम गहन

मैन्यूफैक्चरिंग उद्योग, अवसंरचना विकास और नए क्षेत्रों जैसे हरित उद्योग और किफायती आवास जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जा रहा है।[11]

विचार – विमर्श

Mandla Sarkari Naukri Mp 2021 – नवीनतम जॉब मंडला नौकरी (Latest Mp Govt Jobs 2021) की अधिसूचना हिंदी भाषा में लेटेस्ट मंडला गवर्नमेंट जॉब्स 2021 आधिकारिक वेबसाइट <https://mandla.nic.in/en/> में Mp Naukri Notification प्रकाशित किया जाता है। ऐसे कैंडिडेट जो मंडला शहर में सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और सरकारी नौकरी के अलावा मंडला प्राइवेट जॉब ढूँढ रहे हैं या काम चाहिए मंडला में, पूरे मंडला के निकलने वाली रिक्तियों गवर्नमेंट सरकारी नौकरी 2021 का अपडेट यह प्रेषित की जाती है दैनिक मंडला पर इनमें निजी क्षेत्र में निकलने वाले प्राइवेट जॉब मंडला के साथ-साथ Mp रोजगार मंडला भी शामिल है यदि आप 10वीं, 12वीं, ग्रेजुएट पास हैं तो यह पृष्ठ आपके लिए काफी मूल्यवान है।



मंडला में निकली नई रिक्तियों और आने वाले नवीनतम सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे अनुभवी आवेदकों के लिए हिंदी रोजगार अलर्ट एक ऐसा मंच है जहां पर आपको मंडला नवीनतम सरकारी नौकरियों की जानकारी सबसे पहले मिलेगी आप नियमित रूप से हमारे वेबसाइट पर नई जॉब की सूचना प्राप्त कर सकते हैं एवं अपने शैक्षणिक योग्यता अथवा अनुभव के मंडला पर उन नौकरियों हेतु आवेदन अप्लाई भी कर सकते हैं।[12]

परिणाम

सरकारी नौकरी मंडला पर आप मध्यप्रदेश मंडला जॉब की नवीनतम अपडेट प्राप्त कर सकते हैं मंडला मध्यप्रदेश में कलेक्टर ऑफिस सरकारी जॉब, हेल्थ डिपार्टमेंट सरकारी नौकरी, मंडला जिला पंचायत सरकारी नौकरी, CMHO मंडला सरकारी जॉब, आगामी मंडला सरकारी जॉब, आईटीआई मंडला सरकारी जॉब, जनपद पंचायत मंडला सरकारी नौकरी, नया मंडला प्राइवेट जॉब्स इन मंडला नौकरी, सभी नौकरियों 2021 के लिए नियमित रूप से हिंदी रोजगार अलर्ट इस पेज पर था मनचाही नौकरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मौजूदा समय में हिंदी रोजगार अलर्ट देश के विभिन्न राज्यों में निकलने वाले सरकारी नौकरी की जानकारी समय-समय पर उम्मीदवारों के लिए उपलब्ध है कराती आ रही है साथ- साथ इस पेज पर आप नवीनतम राज्य और केंद्र सरकार, व निजी क्षेत्र में निकलने वाली नौकरी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।[13,14]

निष्कर्ष

Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana 2022 के तहत उद्योग क्षेत्र के लिए 25 लाख रूपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रूपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। साथ ही सरकार द्वारा परियोजना लागत की कुल

राशि की 25 % मार्जिन मनी सब्सिडी (Margin Money Subsidy) भी दी जाएगी। उद्योग क्षेत्र के लिए अधिकतम 6.25 लाख रूपये और सेवा क्षेत्र के लिए 2.50 लाख रूपये का मार्जिन मनी उपलब्ध कराई जाएगी। आज हम आपको अपने इस आर्टिकल के माध्यम से युवा स्वरोजगार योजना 2022 से जुड़ी सभी जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज़ आदि प्रदान करने जा रहे हैं। [15,16]

मध्यप्रदेश समाचार

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना !

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना !

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना !

मुख्यमंत्री मंत्री कृषक उद्यमी योजना



इन सभी योजनाओं के लिए आनलाईन 9 जून
आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है !! 2019

सरकार द्वारा स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास किया जाता है। इसलिए सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन भी किया जाता है। अब सरकार द्वारा सभी छोटे और मझोले उद्योगों को मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसके लिए इच्छुक लाभार्थी जिला उद्योग प्रोत्साहन और उद्यमिता विकास केंद्र में ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। यह ऋण एक जनपद एक उत्पाद के लाभार्थियों की प्रदान किया जाएगा। ऋण प्राप्त करने के लिए आवेदन 15 जून 2021 तक स्वीकार किए जाएंगे। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को ऋण पर सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹2500000 एवं सेवा क्षेत्र के लिए अधिकतम ₹1000000 तक का ऋण ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के पात्र लाभार्थियों को प्रदान किया जाएगा।

भविष्य का दायरा

Mukhyamantri Yuva Swarozgar Yojana के अंतर्गत स्वयं का अंशदान परियोजना लागत का 10% सामान्य जाति के लिए होगा तथा परियोजना लागत का 5% स्वयं का अंशदान पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिला तथा दिव्यांग के लिए होगा। यदि आप इस योजना से संबंधित कोई भी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो कार्य दिवस में कार्यालय उपायुक्त उद्योग, जिला उद्योग तथा उद्यम प्रोत्साहन केंद्र से संपर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 26 दिसंबर 2020 तक आवेदन किया जा सकता है। लाभार्थी इस योजना के अंतर्गत विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के लोगों को लोन की राशि का 10% अंशदान जमा करना होगा तथा अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, महिला एवं विकलांग लाभार्थियों को 5% अंशदान जमा करना होगा। इसी के साथ यदि उद्यम शुरू होने के बाद 2 वर्ष तक उद्यम सफलतापूर्वक चलता है तो सरकार द्वारा प्रदान किया गया लोन अनुदान में परिवर्तित हो जाएगा। [16]

संदर्भ

- 1) "युवा"। मैकमिलन डिक्शनरी। मैकमिलन पब्लिशर्स लिमिटेड। 2013-8-15 को पुनः प्राप्त.
- 2) ^ "युवा"। मरियम-वेबस्टर। 6 नवंबर 2012 को लिया गया।
- 3) ^ "युवा"। डिक्शनरी डॉट कॉम। 6 नवंबर 2012 को लिया गया।



- 4) ^ ए बी सी फर्लांग, एंडी (2013)। युवा अध्ययन: एक परिचय। यूएसए: रूटलेज। पीपी 2-3। आईएसबीएन 978-0-415-56476-2.
- 5) ^ राजनीतिक गतिविधियों में युवा भागीदारी: द आर्ट ऑफ़ पार्टिसिपेशन इन भाक्कर, पंजाब पाकिस्तान, जर्नल ऑफ़ ह्यूमन बिहेवियर इन द सोशल एनवायरनमेंट, 30:6, 760-777, <https://doi.org/10.1080/10911359.2020.1745112>
- 6) "भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए आयुक्त की रिपोर्ट: 50वीं रिपोर्ट (जुलाई 2012 से जून 2013)" (PDF). भाषाई अल्पसंख्यकों के अल्पसंख्यक, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार. मूल (पीडीएफ) से 2 जनवरी 2018 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 जुलाई 2017.
- 7) ↑ मध्य प्रदेश, में घुमने और शिकार के लिए. सूचना और प्रचार निदेशालय, मध्य प्रदेश. 1964. OCLC 8112689.
- 8) ↑ <http://www.sardarsarovardam.org/the-narmada-river-basin.aspx> Archived 2018-08-17 at the Wayback Machine नर्मदा नदी बेसिन
- 9) ↑ Narayan, Udit (18 मार्च 2020). "कमलनाथ कैबिनेट ने मैहर, चाचौड़ा और नागदा को जिला बनाने की मंजूरी दी, मध्यप्रदेश में अब 52 जिले होंगे". Dainik Bhaskar. मूल से 19 मार्च 2020 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 19 मार्च 2020.
- 10) ↑ "Madhya Pradesh Population Sex Ratio in Madhya Pradesh Literacy rate data 2011-2019". www.census2011.co.in. मूल से 28 फ़रवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019.
- 11) ↑ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार^{मृत कड़ियाँ}
- 12) ↑ मध्य प्रदेश: आर्थिक और मानव विकास संकेतक Archived 2012-09-16 at the Wayback Machine, यूएनडीपी (2011)
- 13) ↑ "भारत राज्य में भूखमरी 'खतरनाक' स्तर पर". बीबीसी. 14 अक्टूबर 2008. मूल से 30 सितंबर 2009 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 12 मई 2010.
- 14) ↑ "एक बार फिर, मध्य प्रदेश भ्रूण हत्या के मामलों में सबसे ऊपर है (अंग्रेजी में)". टाइम्स ऑफ़ इंडिया. मूल से 2 मई 2013 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 22 फ़रवरी 2017.
- 15) ↑ मौजूदा मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (15-03-2012 को), भारत के योजना आयोग। Archived 2012-05-16 at the Wayback Machine
- 16) ↑ Mk, Saju (30 अक्टू° 2012). "Malnourished Children of Madhya Pradesh: Malnutrition in Madhya Pradesh - An Overview". मूल से 17 फ़रवरी 2019 को पुरालेखित. अभिगमन तिथि 1 मार्च 2019. |date= में तिथि प्राचल का मान जाँचें (मदद)



**Impact Factor:
7.569**



INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIVE RESEARCH

IN SCIENCE | ENGINEERING | TECHNOLOGY

 9940 572 462  6381 907 438  ijirset@gmail.com



www.ijirset.com

Scan to save the contact details